भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या-1164

उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

राष्ट्रीय शक्षा नीति का प्रभाव

†1164. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शक्षा नीति, 2020 के देश में कार्यान्वयन के पाँचवें वर्ष के पूरा होने पर इसके प्रभाव का आकलन कया है;
(ख) यदि हाँ, तो पछले पाँच वर्षों के दौरान आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, अनुसंधान, बहु-वषयक शक्षा, तथा नामांकन और स्कूल छोड़ने की दरों में प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है क देश में नीति के कार्यान्वयन में सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से काफी पीछे हैं;
(घ) यदि हाँ, तो निजी और सरकारी स्कूलों में नीति कार्यान्वयन का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ड) सरकार द्वारा युवाओं में व्यावसायिक प्र शक्षण और उद्य मता के वकास के लए नीति के तौर पर की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शक्षा नीति, 2020 में कसी भी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रचलनों को शा मल कया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की घोषणा के बाद स्कूल और उच्च**तर **शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। स्कूल शिक्षा में कई पहल की गई हैं जैसे समग्र शिक्षा को एनईपी के साथ जोड़ना; ग्रेड 2 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक** ज्ञान **सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्यात्मक** ज्ञान **के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) का शुभारंभ; तीन महीने के प्ले-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या-प्रवेश दिशानिर्देश;** पीएम ई-वद्या शक्षा के लए सुसंगत मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लए डजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शक्षा से संबं धत सभी प्रयासों को एकीकरण**; ई-पुस्तकें और**

ई-सामग्री वाले एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना**); 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए तैयार की गई खेल-आधारित** अ धगम **शिक्षण सामग्री के लिए** मूलभूत चरण **और जादुई पिटारा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या** रूपरेखा **का शुभारंभ; माध्यमिक स्तर तक की संपूर्ण शैक्षिक यात्रा** का समाधान **करने** हेतु **स्कूल शिक्षा (एनसीएफ-एफएस) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई)। परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण); निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) प्राथमिक, माध्यमिक, एफएलएन और ईसीसीई; विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी); राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर) शिक्षा पारिस्थितिकी को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी गैर-निरक्षरों को लक्षित करने के लिए "**नव भारत साक्षरता कार्यक्रम **या यूएलएएलएएस" योजना का कार्यान्वयन आदि**।

पीएम श्री योजना 14,500 से अधिक चयनित स्कूलों को अनुकरणीय स्कूलों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जो एनईपी 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करते हुए पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हैं।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन 4 दिसंबर, 2024 को ग्रेड 3, 6 और 9 में मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों के अंत में छात्रों के बीच आधारभूत प्रदर्शन को समझने के लिए किया गया था। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की रिपोर्ट https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के निष्कर्ष मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में एनएएस 21 स्कोर की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार को उजागर करते हैं, जो एनईपी 2020 के तहत शुरू किए गए निपुण भारत मिशन के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

अनुसंधान और नवाचार पर एनईपी **2020** में प्राथ मकता **ने वैश्विक नवाचार सूचकांक (**जीआईआई**) में भारत की रैंकिंग** वर्ष **2025 में बढ़ाकर 38** हो गयी है, वर्ष **2015 में** यह **81** थी **। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के "अनुसंधान और विकास सांख्यिकी एक नज़र में 2022-23" के अनुसार विज्ञान और इंजीनियरिंग (एस एंड ई) में प्रदान की जाने वाली पीएचडी की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रकाशनों की कुल संख्या के मामले में भारत** वर्ष **2022 में (2010 में 7वें स्थान से) तीसरे स्थान पर रहा। भारत सरकार देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। ये प्रयास न केवल भारतीय उच्च**तर **शिक्षा संस्थानों की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति और शैक्षणिक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में उनके प्रदर्शन को भी प्रभावित करते हैं।**

एनईपी 2020 में **शिक्षार्थियों के बीच न केवल विचारों में, बल्कि भावना, बुद्धि और कार्यों में भी भारतीय होने के साथ-साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और स्वभाव को विकसित करने के लिए एक गहरा गर्व पैदा करने की परिकल्पना** की गई **है जो मानवाधिकारों, सतत विकास और जीवन, और वैश्विक कल्याण के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं, जिससे वास्तव में वैश्विक नागरिक को दर्शाया जाता है।**

एकीकृत जिला स्कूली शक्षा संबंधी जानकारी प्लस (यूडाइज+) पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में पूर्व-प्राथ मक से उच्च माध्य मक तक सरकारी स्कूलों में नामांकन की कुल संख्या 13,11,13,434 थी और वर्ष 2024-25 में यह 12,15,89,911 थी। **एनईपी 2020 की सिफारिशों के आधार पर,** वर्ष **2022-23 से यू**डाइज**+ को व्यक्तिगत छात्रवार डेटा प्राप्त करने और छात्रों की रजिस्ट्री बनाने के लिए पुनर्जीवित किया गया है।** वर्ष **2022-23 के बाद से सकल नामांकन डेटा से व्यक्तिगत छात्र डेटा में डेटा के संग्रह के तरीके में पूरी तरह से बदलाव आया है। यह पिछले वर्षों के आंकड़ों की तुलना सांख्यिकीय रूप से अलग/अपूर्ण बनाता है।**

इसके अलावा, यूडाइज**+ पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार,** वर्ष **2018-19 के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर क्रमशः 4.5, 4.7 और 17.9 थी।** वर्ष **2024-25 की अवधि के दौरान, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर स्कूल छोड़ने की दर में काफी कमी आई और प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए स्कूल छोड़ने की दर क्रमशः 0.3, 3.5 और 11.5 है।**

एनईपी 2020 में **इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समय-सीमा के साथ-साथ सिद्धांत और कार्यप्रणाली** का प्रावधान **है। इसमें 2030-40 के दशक में पूरी नीति के संचालन की भी परिकल्पना की गई है, जिसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों, स्कूल और उच्च**तर **शिक्षा के नियामक और कार्यान्वयन निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/स्कूलों आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए कई पहल की हैं। एनईपी की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है।**

समग्र शिक्षा योजना के कौशल शिक्षा घटक के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड **VI** से **VIII** तक के छात्रों को व्यावसायिक शक्षा प्रदान करने और राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के साथ अनुकू लत ग्रेड **IX** से **XII** तक के व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लए वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है। **स्कूलों में कौशल शिक्षा शुरू करने, कौशल शिक्षा**

शिक्षकों/कौशल प्रशिक्षकों के क्षमता निर्माण, योग्यता आधारित पाठ्यचर्या और शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास, निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली के विकास और कौशल शिक्षा के अंतर्गत अभिनव कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 तक, इस योजना के तहत 36,465 स्कूलों को अनुमोदन दिया गया है, जिनमें से 35,56,330 छात्रों के नामांकन के साथ 25,140 स्कूलों में कौशल शिक्षा लागू की गई है।

पीएम श्री के तहत वर्ष 2025-26 तक इस योजना के तहत कौशल शक्षा के लए 4,988 स्कूलों को अनुमोदन दिया गया है, जिनमें से 7,58,710 छात्रों के नामांकन के साथ 3,798 स्कूलों में कौशल शिक्षा लागू की गई है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) स्कूलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के कार्यान्वयन के लिए समन्वय करता है। इस योजना में 15-45 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूलों/कॉलेज छोड़ने वाले बच्चों और बेरोजगार युवाओं को लक्षित किया गया है। इस योजना के तहत लक्षित समूहों को मांग संचालित और उद्योग से जुड़े कौशल पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जो उन्हें अपनी क्षमताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप करियर पथ चुनने में सक्षम बनाएंगे। कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्कूल के घंटों के बाद या गैर-कार्य दिवसों पर स्कूलों के मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने की परिकल्पना की गई है।

एनईपी 2020 में उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान/शिक्षण सहयोग और संकाय/छात्रों के आदान-प्रदान की सुविधा का प्रावधान है। यह उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में अपने परिसर स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

*****